न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

चावली बनाम दिवाया

16.8.18	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थिति। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी को चक 12 एसएमडी तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 2/35 के किला नम्बर 2 से 10 तादादी 9 बीघा बतौर टीसी आवंटनशुदा था जिसको कालान्तर में पुख्ता आवंटन किया गया था। इसी मुरब्बे 2/35 के किला नम्बर 16 से 19 तादादी 4 बीघा भूमि आराजीराज रकबे को स्मालपेच में आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 25–02–1988 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर जॉच उपरान्त दिनांक 18–03–1988 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। जिसके खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है तथा प्रार्थी मौके पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि अप्रार्थी/अपीलांट को आवंटन के लिए शुद्ध रूप से उपलब्ध भूमि नहीं थी। प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को भी आवंटित होने के कारण वह विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अतः रकबा अन्यत्र आवंटन के आदेश प्रदान करावें। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई गौर किये बिना ही अपीलांट/अप्रार्थी के आवंटन को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रकरण में जब अपीलांट/प्रार्थी द्वारा स्वमेव यह अभिलिखित किया गया है कि वह अन्यत्र रकबा लेने हेतु सहमत है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के आवंटन को बहाल रखते हुए अपीलांट/अप्रार्थी को अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि चूंकि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को आवंटनशुदा भूमि है तथा मौके पर आबाद होकर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता है। इस हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना भी प्रस्तुत करते हुए निवेदन कि गया था कि अपीलांट/प्रार्थी को उसकी पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान करावें। अतः रेस्पोडेन्ट के आवंटन को बहाल रखते हुए अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये जावे।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–03–1998 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील में दिनांक 11–12–2017 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट के आवंटन को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि रेस्पोडन्ट को आवंटित होने के कारण अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि चूंकि वादगत् भूमि उन्हें आवंटनशुदा भूमि है तथा मौके पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। दूसरी तरफ अपीलांट का भी कथन है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटनशुदा भूमि है ऐसी स्थिति में अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे।

प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों को बतौर भूमिहीन आवंटनशुदा भूमि है। चूंकि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11–12–2017 में संशोधन करते हुए आदेश प्रदान किये जाते है कि वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट को बतौर भूमिहीन का यथावत बहाल रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner